न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

अपील सं0 46/2017 रसद

सीताराम मीना पुत्र श्री हरगोविन्द मीना निवासी ग्राम गुढा आशिकपुरा तहसील बसवा जिला दौसा

.....अपीलार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

....प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी दौसा दिनांक 2.3.2017 अंतर्गत अभियोग सं0 481/2016 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स सीताराम मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत गुढा आशिकपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

उपस्थित–1. श्रीमती सूरज बाई मीना, विभागीय पैरोकार सरकार।

<u>निर्णय</u> दिनांक: 27.02.2025

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 02.03.2017 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. अधिवक्ता अपीलांट के अनुपस्थित रहे। इससे पूर्व भी अधिवक्ता अपीलांट दिनांक 6.12.2024 व दिनांक 31.1.2025 को भी अनुपस्थित रहे थे। अधिवक्ता अपीलांट के अनुपस्थित रहने से उनके प्रार्थना पत्र को ही बहस माना जाकर सुनवाई की गई। अपील मीमो में अंकित तथ्यों के अनुसार दिनांक 25–11–2016 को प्रवर्तक निरीक्षक बांदीकुई विजय लक्ष्मी शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत गुढा आशिकपुरा के राशन डीलर प्रार्थी/ अपीलार्थी सीताराम मीना की उचित मूल्य की दुकान का आकमिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर अनियमितता बताई जाकर अपीलार्थी के प्राधिकारपत्र की शर्तो तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियम) आदेश 1976 का उल्लंघन कर विधि विरूद्ध कृत्य मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई ने उक्त प्रकरण को दिनांक 1–12–2016 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष पत्रांक:रसद/अभियोग/2016/3513 लिखा जाकर अपीलार्थी से गत तीन माह में आंवटन एवं पीडीएस वितरण की स्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा जिला रसद अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 2–12–2016 अपीलार्थी का प्राधिकार पट्टा अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया व प्रवर्तक निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर रसद अधिकारी ने पत्रांक 3582 दिनांक 8–12–2016 को एक नोटिस अपीलार्थी को जवाब हेतु इस आशय का दिया गया कि प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता का जवाब प्रस्तुत करे। उक्त नोटिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 29–12–2016 को तत्काल ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

अपना जवाब जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश किया, जिस जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के नोटिस के जवाब को संतुष्टिपूर्ण नही होना पाते अपीलार्थी को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, (ग) व 18 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का दोषी मानते हुए अमानत राशि 1000 रूपये जब्त करते हुए दिनांक 2–3–2017 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया तथा अपीलार्थी से 50,665/रु वसूली के आदेश फरमा दिये गये। अपीलार्थी को राजस्थान खाद्यान्न एवं आवासी पदार्थ वितरण आदेश 1976 के उपबन्धो के तहत दिनांक 8–10–97 को प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 282 हैं जिसको जिला रसद अधिकारी द्वारा विधि विरुद्ध राजनैतिक द्वेष एवं अदावट के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध प्राधिकार पत्र निरस्त करने का प्रश्नगत आदेश गैर अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी के द्वारा पारित आदेश विधी व तथ्यो के विपरीत होने के कारण कानूनन व इंसाफन निरस्तनीय है। अपीलार्थी ने जारी प्राधिकार पत्र के अनुरूप सभी नियमो को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सावधानी को बरतते हुए अपने कर्त्तव्य का निर्वहन पूर्ण इमानदारी से विधी अनुसार उचित मूल्य की दुकान स्थित सामग्री का वितरण का कार्य किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को विधी व तथ्यो के विरूद्ध जाकर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को गैर कानूनी रूप से निरस्त किया हैं। अतआदेश निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को दिनांक 2–12–2016 ई0 को बिना युक्तिकारण के निलंबित किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व राजनैतिक द्वेष व अदावट के कारण साजिश के तहत प्राधिकार पत्र को निलंबित किया गया। उक्त निलम्बित आदेश दिनांक 2–12–2016 व दिनांक 2–3–2017 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ वितरण व विनिमय आदेश 1976 के प्रावधानो के विपरीत एवं विधी विरुद्ध किया गया हैं जो निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 2–12–2016 को प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के पश्चात 90 दिन के भीतर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना संपूर्ण जांच किये जल्दबाजी में निरस्त कर दिया जबकि जिला रसद अधिकारी द्वारा विधी अनुरूप सही तरीके से कानूनी प्रक्रियां को अपनाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल कर देना चाहिए था । इससे स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी ने गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए विधी विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है जो बहाल किया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है। प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा अपीलार्थी की दुकान पर दिनांक 25–11–2016 ई. को जाना एवं जांच करना बताया गया हैं जिसमे जांच के दौरान अपीलार्थी के विरूद्ध जो भी आरोप लगाये गये हैं उक्त आरोप तकनीकी प्रकृति के है एवं अपीलार्थी के विरूद्ध कोई भी गम्भीर आरोप नही पाया गया तथा जो तकनीकी प्रकृति के आरोप लगाये गये है। उक्त आरोपो को लगाने से पहले विधी अनुरूप प्रक्रिया नही अपनाई गई इसके बावजूद भी अपीलार्थी ने प्रवर्तक निरीक्षक बांदीकुई द्वारा लगाये गये आरोपो के कारण बताओ नोटिस का तत्काल ही संतुष्टिपूर्ण जवाब दे दिया गया। उक्त जवाब को प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई ने गौर नही फरमाते हुए राजनैतिक द्वेष अदावट व साजिश के तहत जवाब नोटिस को दरकिनार करते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को जिला रसद अधिकारी ने कानून नियमो का उल्लंघन करते हुए निरस्त कर दिया गया जो विधी विरूद्ध व कानून के नियमो को उल्लंघन करते हुए किया गया हैं जो निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है। जिला रसद अधिकारी दौसा ने प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई के द्वारा राजनैतिक द्वेष अदावट एवं साजिश के तहत की गई कार्यवाही को सही ढंग से न्यायपूर्ण, सही जांच नही करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:36:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

एवं अपीलार्थी को स्वय व्यक्तिगत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही मात्र प्रवर्तन निरीक्षक की विधीविरुद्व व नियमो के विपरीत की गई प्राधिकार पत्र को निरस्त करने की झूठी रिपोर्ट को सही मानते हुए सत्यता की जांच किये बगैर घोर लापरवाही करते हुए मनमाने ढंग से अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करतेहुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित फरमा दिया गया।- अपीलार्थी द्वारा अपने कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता नही बरती गई हैं एव प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कानून व नियमो का उल्लंघन करते हुए विधीविरूद्ध की गई कार्यवाही व झूठी रिपोर्ट को आधार मानते हुए प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया हैं जबकि प्रवर्तन निरीक्षक एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नही दिया गया ना ही अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिये गये नोटिस का संतुष्टिपूर्ण जवाब भी प्रेषित किया गया था लेकिन जिला रसद अधिकारी ने उक्त नोटिस के जवाब को दरकिनार करते हुए स्वयं अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर एवं स्वतंत्र एव निष्पक्ष गवाह को पेश करने का अवसर नही दिया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। उक्त आदेश कानून व नियमो का उल्लंघन करते हुए विधीविरूद्ध जाकर बिना किसी प्रमाणितता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही कानून व नियमो के विपरीत जाकर की गई हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 1–12–2016 को प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा अपीलार्थी को गत तीन माह में आवंटन एवं पीडीएस वितरण की स्थिति प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया उक्त नोटिस की अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से पहले ही नियमो के विपरीत जाकर दिनांक 2–12–2016 को जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जबकि अपीलार्थी को उक्त नोटिस के जवाब के लिए समय दिया जाना आवश्यक था लेकिन उक्त नोटिस के जवाब से पहले ही गैरकानूनी रूप से नोटिस दिये जाने की दिनांक 1–12–2016 के दूसरे दिन ही 2–12–2016 को रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 8–12–2016 को अपीलार्थी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका अपीलार्थी ने संतुष्टिपूर्ण जवाब ही तत्काल जिला रसद अधिकारी को दे दिया लेकिन राजनैतिक द्वेषता, अदावट एवं साजिश के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध गैरकानूनी रूप से एक तरफा कार्यवाही करतेहुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने अपनी उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शित स्टॉक बोर्ड में मूल्य सूची व स्टॉक की वांछित सूचनाओ का नियत अंकन करना, खाद्य सुरक्षा सूची चस्पा किया जाना, उपभोक्ताओ को राशन करवाना आदि सभी सामग्री का वितरण करने पर पर्ची उपलब्ध नियमो का नियमानुसार निर्वहन किया गया है तथा उपभोक्ताओ की संतुष्टि को ध्यान मे रखत हुए राशन सामग्री का वितरण की रजिस्टर में नियमानुसार एन्ट्री भी की गई हैं। यहां तक कि उचित मूल्य की दुकान पर आमद व वितरण समानता ग्राम पंचायत की आयोजित सभा में अक्टूबर 2016 में सत्यापन भी करवाया गया हैं। उपरोक्त [illegible] समय पर नियमानुसार सभी शर्तो का निर्वहन किया गया है। अपीलार्थी के [illegible] सी भी प्रकार की अनियमितता नही होना होते हुए भी प्रवर्तन [illegible] रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के विरू[illegible] करते हुए प्राधिकार पत्र को निरस्त फरमा दिया। अपीलार्थी द्वारा नोटिस के जवाब [illegible] स्पष्ट रूप से नोटिस में दिये गये सभी कारणो का जो जवाब पेश किया गया है उसका प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी महोदय द्वारा कानून व नियमानुसार व तथ्यो के अनुरूप अवलोकन व विवेचन ही नही किया गया हैं यहां यह तथ्य भी निवेदन व अंकित किया जाना आवश्यक है कि अपीलांट ने अपने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि गांव में नेट सुविधा का सुचारू रूप नही होना व अचानक बंद होना व सही नही चलने की गम्भीर परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में वितरण सुचारू रूप से चलाने की मानवीय नीति व बोनाफाईड नियम से वितरण रजिस्टर के द्वारा राशन सामग्री वितरित की गई जिसकी संपूर्ण एन्ट्री वितरण रजिस्टर में है ताकि ग्रामीण उपभोक्ताओ को राशन सामग्री नियमित मिल सके व ग्रामीण उपभोक्ताओ द्वारा आक्रोश नही फैले परन्तु प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा उक्त तथ्यो पर कतई गौर नही फरमाते हुए वितरण रजिस्टर एवं पॉस मशीन से वितरित की गई राशन सामग्री को जोडा ही नही गया और दोनो का बिना मिलान किये ही जबरिया व विधीविरूद्ध तरीके से बिना जोड बाकी किये ही गेंहू, केरोसीन व चीनी को कम अधिक बतादी। यदि रजिस्टर व पॉस मशीन से वितरित की गई सामग्री को मिलान व जोडकर भौतिक सत्यापन किया जावे तो किसी भी प्रकार की राशन सामग्री ना तो कम ज्यादा होता बल्कि स्टॉक सही बैठता व न कोई माल कम होता न ज्यादा होता परन्तु गैर अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा उक्त तथ्यो पर बिना विवेकपूर्ण विचार किये केवल मात्र राजनैतिक दबाव में प्रीज्यूडिस होकर प्रश्नगत आदेश फरमाया है जो कानूनन आदेश की तारीफ में नही आता है जो निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा राशन सामग्री के वितरण व रिकॉर्ड में अंकन संबंधी किसी भी प्रकार की विधि विरूद्ध, नियम विरूद्व व प्राधिकार पत्र में दीगई शर्तों व नियमो के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नही की गई है परन्तु अपीलांट के विरूद्ध केवल मात्र राजनैतिक दबाव में अन्य व्यक्तियो को बदयान्तिपूर्वक प्राधिकार पत्र निरस्त करने व डीलरशिप देने हेतु जान बूझकर प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा गलत व बनावटी व फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट बनाई जिसके आधार पर यह प्रकरण बनाया गया हैं। इन तथ्यो से भी यह प्रमाणित है कि दिनांक 25–11–2016 को वक्त निरीक्षण प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई ने जो जांच की व रिकॉर्ड पाया उसने स्वयं ने निरीक्षण मौका फर्द में यह तथ्य अंकित हैं कि सत्यापन पर स्टॉक ठीक व सही पाया है व इसके अतिरिक्त नेट से प्रार्थी द्वारा सरकारी रिकॉर्ड का वितरण जो नेट से निकलवाई गई नकल हैं दोनो का मिलान करने पर माल में किसी भी प्रकार की कोई अथवा अधिक नही होता है व इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता नही की गई हैं व नियम तथा शर्तो के अनुसार ही वितरण की कोई कार्यवाही नही की है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा आदेश पारित कर अपीलांट के पास स्टॉक में बचे हुए माल को अन्य डीलर जिसका नाम श्री ओमप्रकाश मीना है जो एफपीएस डीलर ग्रामपंचायत नांगल झामरवाडा को अपीलांट से बचा हुआ समस्त खाद्य सामग्री व केरोसीन सुपुर्द करवाकर वितरण करवाया व स्वयं डीएसओ ने 135.79 क्विंटल गेंहू, 763.5 लीटर केरोसीन मय पीओएस मशीन उक्त डीलर श्री ओमप्रकाश को दिलवाकर अपीलार्थी को रसीद दिलवाई गई। इस प्रकार पॉस मशीन के जरिए व वितरण रजिस्टर के जरिए खाद्य सामग्री अथवा राशन सामान व अन्य डीलर श्री ओमप्रकाश मीना को जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट से राशन सामान को अपीलांट से दिलवाकर वितरित सामान को जोडने के पश्चात किसी भी प्रकार की अनियमितता या कमी बेसी प्रमाणित नही होती है परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक विजयलक्ष्मी शर्मा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 1–12–2016 में जान बूझकर बिना किसी आधार [illegible] स्टॉक व वितरण के संबंध की गलत सूची व रिपोट बनाकर लाइसेन्स [illegible] ऐसी सूरतमें यह स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी दौसा का आ[illegible] आदेश पारित किया हैं जो कि कानूनन निरस्तनीय है [illegible] परिवार का सदस्य है। जिसका एक मात्र रोजगार यह उचित मूल्य की दुकान है। [illegible]पीलार्थी के उपर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण व जीवन यापन करने का दायित्व हैं अपीलार्थी के पास उचित मूल्य की दुकान के अलावा अन्य आय का कोई स्त्रोत नही है एवं अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई गम्भीर आरोप भी नही है जिससे कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जावें, ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

ही अपीलार्थी ने अपने कर्त्तव्यो के निर्वहन में किसी भी प्रकार की अनियमितता ही की हैं ना ही राशन वितरण में भ्रष्टाचार व कालाबाजारी की हैं। अपीलार्थी अपने कर्त्तव्यो का निर्वहन कानून व नियमो को ध्यानमें रखतेहुए सही ढंग से करता आ रहा है। उसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी ने बिना युक्तियुक्त कारण के अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर विधी विरुद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का आदेश दिनांक 2.3.2017 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल कर रसद सामग्री वितरण के आदेश प्रदान करावें।

4. विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि दिनांक 25.11.2016 को प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई के द्वारा ग्राम पंचायत गुढा आशिकपुरा के उचित मूल्य दुकानदार श्री सीताराम मीना की दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई है

1.दुकान पर मूल्य सूची व स्टॉक बोर्ड व वांछित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं था।

2.दुकान के बाहर खाध सुरक्षा सूची चस्पा नहीं थी।

3.दुकान का आमद–वितरण राशन सामग्री का ग्राम सभा में सत्यापन नहीं कराया गया।

4.उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करने पर पर्ची मांगने पर ही दिया जाना पाया गया।

5.राशन सामग्री का वितरण दिनांक 20.11.2016 के पश्चात दिनांक 25.11.2016 को किया जाना पाया गया।

5. आवंटन व वितरण रजिस्टर के आधार पर स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर 12.21 क्विं. गेहूँ व 831.5 लीटर केरोसीन कम पाया गया तथा 2.57.50 क्विंटल चीनी अधिक पाई गई।

प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 1.12.2016 को जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 2.12. 2016 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक के लिए निलंबित किया जाकर जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओ बाबत उचित मूल्य दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर जवाब चाहा गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नोटिस का बिन्दुवार जवाब दिनांक 29.12.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के जवाब से संतुष्ठ नहीं होकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र जमाशुदा संपूर्ण अमानत राशि 1000/–रू0 जब्त सरकार करते हुए डीलर को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया तथा 12.21 क्विं. गेहूँ की राशि 21978/–रू0 एवं 831.5 लीटर केरोसीन की अंतर राशि 28687/–रू. कुल 50665/–रू0 वसूली के आदेश पारित किये गये। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पूर्ण एवं विधिवत् रूप से पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5. हमने आपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो व विभागीय पैरोकार सरकार एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 1.12.2016 को जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 2.12. 2016 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक के लिए निलंबित किया जाकर उचित मूल्य दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी ने दिनांक 29.12.2016 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसको जिला रसद अधिकारी दौसा ने संतुष्ट नहीं होकर डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 का तथा इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्ते संख्या 5, 6, 8,9, 11, 14, 15, 17 सी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:28 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

18 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। जिस पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने उचित मूल्य दुकानदार श्री सीताराम मीना द्वारा जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू0 जब्त सरकार करते हुए डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है तथा डीलर द्वारा गबन किये गये गेहूँ की राशि 21978 रू0 एवं 831.5 लीटर केरोसीन की अंतर राशि 28687 /रू. कुल राशि 50665/–रू0 की वसूली के आदेश पारित किये गये है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 2.12.2016 को पारित किया गया है जिसमें अपीलांट द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं बाबत विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है।

- जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली की नोटशीट का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि उनके द्वारा इस प्रकरण में प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित किया गया है जो कि विधिसम्मत है
- जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। हम अपील अपीलांट खारिज योग्य समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.12.2016 यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:28 IST
Reason: SelfAttested